रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)--72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 542] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 1981/अग्रहायण 13, 1903
No. 542] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 1981/AGRAHAYANA 13, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1981

का० आ० 855(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (एक सौ बावनवां संशोधन) नियम, 1981 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(i) "नागरिक पूर्ति मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"5. कालाबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तुओं का आपूर्ति अनुरक्षण अधिनियम, 1980।

5क. उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं।";

(ii) "गृह मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, —

(क) "भाग I क—संघीय और समवर्ती विषय" उप-शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि 99 ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"99ख. आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1981।"

(ख) "भाग II—समवर्ती विषय" उपशीर्ष के अन्तर्गत,

(i) प्रविष्टि 102 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"102. कालाबाजारी तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अनुरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निवारक निरोध को छोड़कर, राज्य की सुरक्षा से, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से, या समाज के लिए अत्यावश्यक आपूर्तियों और सेवाओं को बनाए रखने से संबद्ध कारणों से निवारक निरोध, ऐसे निरुद्ध व्यक्ति।;"

(ii) प्रविष्टि 103 क का लोप किया जाएगा,

(iii) "उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, "ख. भारी उद्योग विभाग" उप-शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि, 5 क का लोप किया जाएगा;

(iv) "ग्रामीण पुनिर्माण मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत,—

(क) प्रविष्टि 3 के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :—

"3. प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण जल आपूर्ति (त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम को छोड़कर), भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों के लिए आवास और पोषाहार कार्यक्रम के लिए ग्रामीण

क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित सभी मामलों की नोडीय जिम्मेदारी ।";

(ख) प्रविष्टि 13 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी; अर्थात्:—

"14. ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मामलों सहित ग्रामीण सड़कों से संबंधित सभी मामले ।";

(v) "नौवहन और परिवहन मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टि 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"8. पोत-निर्माण और पोत-सुधार उद्योग ।
8क. मत्स्य-ग्रहण नौका उद्योग ।
8ख. प्लवमान-यान उद्योग ।" ।

नीलम संजीव रेड्डी
राष्ट्रपति

[सं० 73/3/17/81-मंत्रि०]
प्रेम कुमार, अपर सचिव,

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 1981

S.O. 885(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One Hundred and Fifty-second Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(i) under the heading "Ministry of Civil Supplies (Nagrik Poorti Mantralaya)", for entry 5, the following entries shall be substituted, namely :—

"5. Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980.

5A. Consumer Cooperatives.";

(ii) under the heading "Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya)",—

(a) under the sub-heading "Part IA—Union and Concurrent Subject", for entry 99B, the following entry shall be substituted, namely :—

"99B. The Essential Services Maintenance Act, 1981.";

(b) under the sub-heading "Part II—Concurrent Subjects",

(i) for entry 102, the following entry shall be substituted, namely :—

"102. Preventive detention for reasons connected with the security of a State, the maintenance of public order, or the maintenance of supplies and services essential to the community excepting preventive detention under the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980; persons subjected to such detention.";

(ii) entry 105 A shall be omitted.;

iii) under the heading, "Mlnistry of Industry (Udyog Mantralaya)", under the sub-heading "B, Department of Heavy Industry (Bhari Udyog Vibhag)", entry 5A shall be omitted.;

(iv) under the heading "Ministry of Rural Reconstruction (Gramin Punarnirman Mantralaya)",

(a) for entry 3, the following entry shall be substituted, namely :—

"3. Nodal responsibility for all matters relating to the Minimum Needs Programme in the rural areas in the field of elementary education, adult education, rural health, rural electrification, rural water supply (excluding centrally sponsored scheme of accelerated rural water supply), housing for landless rural labour and the nutrition programme.";

(b) after entry 13, the following entry shall be inserted, namely :—

"14. All matters relating to rural roads including those under the Minimum Needs Programme in the rural areas.";

(v) under the heading "Ministry of Shipping and Transport (Nauwahan aur Pariwahan Mantralaya)", for entry 8, the following entries shall be substituted, namely :—

"8. Ship-building and Ship-repair industry.

8A. Fishing vessel industry.

8B. Floating craft industry.".

N. SANJIVA REDDY President

[No. 74|3|17|81-Cab.]

PREM KUMAR, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981